

राजस्थान सरकार
कृषि आयुक्तालय, राजस्थान, जयपुर


क्रमांक : एफ.24(105)आ.कृ./रा.खा.सु.मि./2016-17/6541-6641 दिनांक : 13-06-2016

1. प्रबन्ध निदेशक,
राजस्थान स्टेट सीड कारपोरेशन लि0, जयपुर
2. प्रबन्ध निदेशक,
राजस्थान राज्य तिलहन उत्पादक संघ (तिलम संघ),
नेहरू सहकार भवन, जयपुर
3. क्षेत्रीय प्रबन्धक, राष्ट्रीय बीज निगम,
सी-स्कीम, चौमू हाउस, तबेला, जयपुर
4. स्टेट मार्केटिंग मैनेजर,
कृभको, नेहरू सहकार भवन, जयपुर
5. महा प्रबन्धक कृषि (आदान),
राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ लि., 4 भवानी सिंह रोड, जयपुर।
6. वरिष्ठ परियोजना प्रबन्धक,
इण्डियन फार्म फोरेस्ट्री डवलपमेंट को-आपरेटिव लि.,
220/25, मेहता विला पानेरियों की मादडी, मनामा मोटर्स के पीछे, हिरण मगरी, मेन रोड
सेक्टर-5, उदयपुर 313002
7. उप महा प्रबन्धक (बीज विपणन), हिन्दुस्तान इन्सेक्टीसाइड लि0,
स्कोप कॉम्प्लेक्स, कोर-6, द्वितीय तल, 7, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003

विषय :-राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन अन्तर्गत वर्ष 2016-17 में दलहनी एवं मोटे अनाज (कोर्स सीरीयल) फसलों के अनुदानित दर पर प्रमाणित बीज वितरण एवं दलहनी फसलों के प्रमाणित बीज उत्पादन हेतु लक्ष्य आवंटन एवं दिशा-निर्देश।

भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना-वर्ष 2016-17 में दलहनी एवं मोटे अनाज (कोर्स सीरीयल) फसलों के अनुदानित दर पर प्रमाणित बीज वितरण तथा दलहनी फसलों के बीज उत्पादन हेतु अनुमति प्रदान की गई है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत प्रमाणित बीज वितरण, उत्पादन के भौतिक एवं वित्तीय प्रावधान तथा सहायता पैटर्न का विवरण निम्नानुसार है :-

अ -प्रमाणित बीज वितरण					
नाम फसल	व्यनित जिले	प्रावधान अनुसार देय अनुदान	प्रावधान		बीज वितरण संस्था
			भौतिक (क्वि.)	वित्तीय (लाख रु0)	
दलहन मूंग, उड़द, मोठ, अरहर एवं चना।	समस्त जिले	(अ) पन्द्रह वर्ष तक की अवधि की अधिसूचित किस्मों के प्रमाणित बीज की कीमत का 50 प्रतिशत अथवा रु. 2500/- प्रति क्विण्टल, जो भी कम हो।	153500	3837.50	राजस्थान स्टेट सीड्स कारपोरेशन, नेशनल सीड कारपोरेशन, कृभको, तिलम संघ, आई.आई.एफ. डी.सी., एच.आई.एल.
मोटा अनाज (बाजरा, ज्वार, मक्का, जौ)	अजमेर, अलवर, बाड़मेर, चुरु, सीकर, भीलवाड़ा, बीकानेर, जयपुर, जालौर, झुन्झुनू, जोधपुर, नागौर (12 जिले)	(अ) किस्में:- दस वर्ष से कम अवधि की अधिसूचित किस्मों पर प्रमाणित बीज की कीमत का 50 प्रतिशत अथवा रु. 1500/- प्रति क्विण्टल, जो भी कम हो।	40000	600	उपरोक्तानुसार



		(ब) संकर किस्में:- दस वर्ष से कम अवधि की अधिसूचित किस्मों के प्रमाणित बीज की कीमत का 50 प्रतिशत अथवा रू. 5000/- प्रति क्विण्टल, जो भी कम हो।	20000	1000	उपरोक्तानुसार
गेहूँ	बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, बीकानेर, जयपुर, झुन्झुनू, जोधपुर, करोली, नागौर, प्रतापगढ़, सवाई माधोपुर, सीकर, टोंक, उदयपुर (13 जिले)	(अ) दस वर्ष से कम अवधि की अधिसूचित किस्मों के प्रमाणित बीज की कीमत का 50 प्रतिशत अथवा रू. 1000/- प्रति क्विण्टल, जो भी कम हो।	67422	674.22	उपरोक्तानुसार
योग (प्रमाणित बीज वितरण)			280922	6111.72	
ब -प्रमाणित बीज उत्पादन					
दलहन:- मूंग, उड़द, मोठ, चंवला अरहर एवं चना।	समस्त जिले	दस वर्ष से कम अवधि की अधिसूचित किस्मों के प्रमाणित बीज उत्पादन पर रू. 2500/- प्रति क्विण्टल, अनुदान देय है। उक्त राशि में से 75 प्रतिशत राशि रू. 1875/- प्रति क्विण्टल बीज उत्पादक कृषक को एवं 25 प्रतिशत राशि रू. 625/- प्रति क्विण्टल सम्बन्धित बीज उत्पादक संस्था को देय है।	150000	3750	राजस्थान स्टेट सीड्स कारपोरेशन, तिलम संघ
योग (प्रमाणित बीज उत्पादन)			150000	3750	
कुल योग			430922	9861.72	

नोट:- खरीफ फसलों हेतु जिलेवार एवं संस्थावार अनुदानित दर पर प्रमाणित बीज वितरण कार्यक्रम संलग्न कर भिजवाया जा रहा है। गेहूँ, जौ एवं चना फसल के जिलेवार एवं संस्थावार प्रमाणित बीज वितरण का कार्यक्रम पृथक से रबी सीजन में भिजवाया जाएगा।

अ:- प्रमाणित बीज वितरण हेतु दिशा-निर्देश :-

- 1 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन अन्तर्गत अनुदानित दर पर प्रमाणित बीज प्राप्त करने हेतु कृषक द्वारा सम्बन्धित कृषि पर्यवेक्षक/सहायक कृषि अधिकारी कार्यालय में सम्पर्क कर परिशिष्ट-1 पर संलग्न प्रपत्र में सम्बन्धित कृषि पर्यवेक्षक/सहायक कृषि अधिकारी की सिफारिश उपरान्त उनके क्षेत्र में कार्यरत ग्राम सेवा/क्रय विक्रय सहकारी समिति/ सार्वजनिक क्षेत्र की बीज संस्थाओं के अधिकृत निजी विक्रेताओं से सिफारिश की गई फसल की किस्म का बीज अनुदानित दर पर प्राप्त कर सकेंगे।
- 2 कृषि पर्यवेक्षक/सहायक कृषि अधिकारी कृषकों को उनके क्षेत्र के लिये आवंटित लक्ष्यों की सीमा में ही "पहले आओ, पहले पाओ" के सिद्धान्त पर उक्त प्रपत्र में अनुदानित बीज की मात्रा, फसल व किस्म की सिफारिश करेंगे।
- 3 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना के तहत राज्य के चयनित जिलों हेतु प्रमाणित बीज वितरण कम्पोनेन्ट की अनुदान राशि का पुनर्भरण संबंधित जिले के उप निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद द्वारा सम्बन्धित बीज संस्था को किया जाएगा।
- 4 प्रमाणित बीज वितरण मद में सार्वजनिक क्षेत्र की उपरोक्त सभी बीज संस्थाओं द्वारा दलहनी, मोटे अनाज (बाजरा, ज्वार, मक्का, जौ) एवं गेहूँ फसलों के प्रमाणित बीज की प्रति क्विण्टल कुल कीमत में से उपरोक्त तालिका में वर्णित अनुदान राशि कम करके चयनित जिलों में अनुदानित दर पर कृषकों को बीज विक्रय किया जाएगा।



- 5 बीज विक्रेता सम्बन्धित उत्पादक संस्था के माध्यम से कृषि पर्यवेक्षक/सहायक कृषि अधिकारी द्वारा सिफारिश किये गये प्रपत्र मय कृषक सूची, जिसमें कृषक का पूर्ण पता, दिये गये बीज एवं विक्रय बिल का विवरण आदि सहित सम्बन्धित उप निदेशक कृषि (विस्तार) को प्रेषित करेंगे।
- 6 एक किसान को अधिकतम 2 हैक्टर क्षेत्र तक ही प्रमाणित बीज अनुदान पर उपलब्ध कराया जाएगा।
- 7 प्रमाणित बीज वितरण कम्पोनेन्ट के तहत राज्य में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के कृषकों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में क्रमशः 17.80 एवं 13.50 प्रतिशत लाभान्वित किये जाने का प्रावधान है। इस हेतु अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के कृषकों को संबंधित जिलों में उनकी जनसंख्या के अनुपात एवं इस श्रेणी के कृषकों की बीज मांग अनुसार लाभान्वित करवाया जाये।
- 8 कुल अनुदान राशि में से 30 प्रतिशत राशि का व्यय महिला वर्ग के कृषकों एवं 33 प्रतिशत व्यय लघु एवं सीमान्त कृषकों हेतु किये जाने के प्रयास किये जावे।
- 9 लाभार्थी कृषकों की सूची का संधारण बीज संस्था द्वारा स्वयं किया जायेगा, जिसका रेण्डम वेरिफिकेशन जिला स्तरीय सीड कमेटी से कराते हुए पोस्ट फैक्टो अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। रेण्डम वेरिफिकेशन की सूचना संलग्न प्रपत्र "अ" में संधारित की जावेगी।
- 10 केन्द्रीय संस्था यथा - नेशनल सीड्स कारपोरेशन एवं एच.आई.एल. को योजनान्तर्गत वितरित प्रमाणित बीज की अनुदान राशि का भुगतान सीधे केन्द्र सरकार द्वारा किया जावेगा तथा राजस्थान स्टेट सीड्स कारपोरेशन, तिलम संघ, कृभको, राजफैड एवं आई.आई.एफ.डी.सी. उदयपुर को भुगतान संबंधित जिलों से ही किया जावेगा।
- 11 योजना अन्तर्गत खरीफ 2016 हेतु दलहनी एवं मोटे अनाज वाली फसलों के प्रमाणित बीज वितरण हेतु जिलेवार, संस्थावार एवं फसलवार भौतिक लक्ष्य परिशिष्ट- 2 से 8 पर संलग्न है।
- 12 जिलेवार आवंटित लक्ष्यों के अनुसार ही कार्य सम्पादित किया जावे, जिसकी भौतिक एवं वित्तीय प्रगति संलग्न प्रपत्र "ब" में कृषि आयुक्तालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।

ब:- प्रमाणित बीज उत्पादन हेतु दिशा-निर्देश :-

1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन अन्तर्गत दलहनी फसलो के प्रमाणित बीज उत्पादन पर उपरोक्त तालिका अनुसार देय अनुदान राशि का भुगतान राज्य की बीज संस्था यथा राजस्थान राज्य बीज निगम एवं तिलम संघ को संबंधित उप निदेशक कृषि (विस्तार), जिला परिषद द्वारा किया जायेगा एवं केन्द्रीय बीज संस्थायें यथा राष्ट्रीय बीज निगम, कृभको, ईफको (आईएफएफडीसी) आदि दलहनी फसलो के प्रमाणित बीज उत्पादन पर अनुदान राशि सीधे भारत सरकार से प्राप्त करेगी।
2. केन्द्रीय बीज उत्पादक संस्थाओं द्वारा दलहनी फसलों के प्रमाणित बीज उत्पादन हेतु कार्य योजना भारत सरकार को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी, एवं भारत सरकार से अनुमोदन अनुसार केन्द्रीय बीज संस्थाओं द्वारा बीज उत्पादन कार्यक्रम का आयोजन किया जायेगा।
3. खरीफ 2016 हेतु राजस्थान राज्य बीज निगम लि. एवं तिलम संघ द्वारा आयोजित किये जाने वाले दलहनी फसलों के प्रमाणित बीज उत्पादन का फसलवार लक्ष्य परिशिष्ट 9 पर संलग्न है। राजस्थान राज्य बीज निगम एवं तिलम संघ द्वारा उक्त आवंटित लक्ष्य का फसलवार, किस्मवार, जिलेवार बीज उत्पादन कार्यक्रम का प्रस्ताव संबंधित उप निदेशक कृषि (विस्तार), जिला परिषद को बुवाई सीजन से पूर्व प्रस्तुत किया जायेगा एवं इसकी प्रति कृषि आयुक्तालय को प्रेषित की जायेगी ताकि जिलेवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों का आवंटन किया जा सके।
4. प्रमाणित बीज उत्पादन कम्पोनेन्ट के तहत राज्य में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के कृषकों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में क्रमशः 17.80 एवं 13.50 प्रतिशत लाभान्वित किये जाने का प्रावधान है। इस हेतु अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के कृषकों को संबंधित जिलों में उनकी जनसंख्या के अनुपात के अनुसार लाभान्वित करवाया जाये।

यह दिशा निर्देश एवं लक्ष्य आवंटन सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

(एच.एल. मीना) 6/2/16


अतिरिक्त निदेशक कृषि (आदान)

क्रमांक : एफ.24(105)आ.कृ. / रा.खा.सु.मि. / 2016-17 / 6541-6641

दिनांक : 13-06-2016

प्रतिलिपि आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव कृषि, राजस्थान, जयपुर।
- 2 निजी सचिव, आयुक्त एवं पदेन विशिष्ट शासन सचिव कृषि, राजस्थान, जयपुर।
- 3 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, (समस्त).....
- 4 अतिरिक्त निदेशक कृषि (आदान/विस्तार/एनएमओओपी/अनुसंधान/समन्वयक) कृषि आयुक्तालय, जयपुर।
- 5 संयुक्त निदेशक कृषि (जल उपयोग प्रकोष्ठ) एवं प्रभारी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, मुख्यालय, जयपुर को संबंधित संस्थाओं को समय पर भुगतान हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने हेतु।
- 6 संयुक्त निदेशक कृषि (आदान/योजना/गुण नियंत्रण/एनएमओओपी/एटीसी) मुख्यालय जयपुर।
- 7 संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) समस्त।
- 8 परियोजना निदेशक कृषि, सी.ए.डी., कोटा।
- 9 उप निदेशक कृषि (विस्तार) आई.जी.एन.पी. बीकानेर।
- 10 उप निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद समस्त



(डा. आर.जी. शर्मा)

संयुक्त निदेशक कृषि (आदान)

एन.एफ.एस.एम. अन्तर्गत प्रमाणित बीज वितरण-रेण्डम सेम्पलिंग के आधार पर निरीक्षण/सत्यापन रिपोर्ट

नाम जिला -----

वर्ष -----

क. सं.	नाम संस्था	फसल का नाम	अनुदानित दर पर वितरित बीज की कुल मात्रा (क्व0)	लाभार्थी कृषकों की कुल संख्या				निरीक्षण		विशेष विवरण
				सा.	अनुजा	अजजा	योग	कृषकों की संख्या	बीज की मात्रा (क्व0)	

हस्ताक्षर

उप निदेशक कृषि (विस्तार)

जिला परिषद,

एन.एफ.एस.एम. योजनान्तर्गत मदवार भौतिक एवं वित्तीय प्रगति रिपोर्ट

नाम जिला

वर्ष

क. सं.	नाम संस्था	कम्पोनेन्ट	फसल का नाम मय किस्म	भौतिक प्रगति (क्विं०)	अनुदान दर	भुगतान की गई राशि (रु०)			
						सामान्य	अनुजा	अजजा	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

उप निदेशक कृषि (विस्तार)

जिला परिषद

कार्यालय उप निदेशक कृषि (विस्तार), जिला परिषद

अनुदान पर प्रमाणित बीज हेतु अनुशंषा

कृषक श्री/श्रीमती पुत्र/पत्नि श्री

..... कृषक श्रेणी (सामान्य/अनु. जाति/अनु. जन जाति)

निवासी गांव कृषि पर्यवेक्षक क्षेत्र

सहायक कृषि अधिकारी क्षेत्र को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (NFSM) में प्रमाणित बीज वितरण पर अनुदान कार्यक्रम अन्तर्गत कोर्स सीरियल एवं गैहूं फसल .

..... की दस वर्ष से कम अवधि की अधिसूचित किस्म का

हैक्टर /दलहन फसलों की 15 वर्ष तक की अवधि की अधिसूचित किस्म का

हैक्टर क्षेत्र के लिए उत्पादक संस्था राजस्थान राज्य बीज निगम लि./तिलम संघ/राजफेड/राष्ट्रीय बीज निगम/कृभको/आईएफएफडीसी/हिन्दुस्थान इन्सेक्टिसाईड लि. का

किलोग्राम प्रमाणित बीज अनुदान पर (अनुदान राशि रूपये प्रति किलोग्राम की दर से) उपलब्ध करवाने की अनुशंषा की जाती है। यह अनुशंषा आज दिनांक को जारी की जाती है तथा जारी तिथि से 15 दिवस तक मान्य होगी।

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

कृषक

कृषि पर्यवेक्षक/सहायक कृषि अधिकारी क्षेत्र

दिनांक-

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त कृषक को योजनान्तर्गत देय अनुदान राशि कम करने के बाद फसल की दस वर्ष से कम अवधि की /दलहन की पन्द्रह वर्ष तक की अवधि की अधिसूचित किस्म का किलोग्राम प्रमाणित बीज बिल न0 दिनांक के द्वारा उपलब्ध करवा दिया गया है।

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

कृषक

दिनांक-


नाम अधिकृत विक्रेता/

फर्म का नाम

Seed Distribution and SRR (%) Plan for Kharif-2016 & Subsidized Seed Distribution Target under NFSM								
Crop - Maize						Annex- (seed in qtls & area in ha)		
S.No	District	Plan-2016-17			Total Target for Subsidized Seed Distribution	Agencywise Target for Subsidized Seed Distribution		
		Proposed Area	Seed Dist	SRR (%)		RSSC	NSC	Total
1	AJMER	28000	2500	44.64	1000	100	900	1000
2	JAIPUR	3000	500	83.33	100	100	0	100
3	SIKAR	0	0	0.00	0	0	0	0
4	JHUNJHUNI	0	0	0.00	0	0	0	0
5	NAGPUR	0	0	0.00	0	0	0	0
6	ALWAR	5000	500	50.00	100	50	50	100
7	BIKANER	0	0	0.00	0	0	0	0
8	CHURU	0	0	0.00	0	0	0	0
9	BARMER	0	0	0.00	0	0	0	0
10	JODHPUR	0	0	0.00	0	0	0	0
11	JALORE	0	0	0.00	0	0	0	0
12	BHILWARA	170000	20000	58.82	4800	250	4550	4800
	TOTAL	206000	23500	57.04	6000	500	5500	6000




Seed Distribution and SRR (%) Plan for Kharif-2016 & Subsidized Seed Distribution Target under NFSM									
					(seed in qtls & area in ha)				
Crop -Bajra									
S. No	District	Plan-2016-17			Total Target for Subsidized Seed Distribution	Agencywise Target for Subsidized Seed Distribution			
		Proposed Area	Seed Dist	SRR (%)		RSSC	NSC	Rajfed	Total
1	AJMER	75000	2600	86.67	300	200	100	0	300
2	JAIPUR	310000	9000	72.58	1000	500	500	0	1000
3	SIKAR	300000	9000	75.00	1100	600	400	100	1100
4	JHUNJHUNI	250000	9000	90.00	1000	500	400	100	1000
5	NAGPUR	420000	9270	55.18	1150	500	450	200	1150
6	ALWAR	260000	9500	91.35	800	400	300	100	800
7	BIKANER	140000	2500	44.64	400	200	200	0	400
8	CHURU	320000	10000	78.13	1000	500	500	0	1000
9	BARMER	860000	8000	23.26	1100	600	500	0	1100
10	JODHPUR	500000	16000	80.00	1300	700	600	0	1300
11	JALORE	315000	10600	84.13	800	300	500	0	800
12	BHILWARA	3000	100	83.33	50	0	50	0	50
	TOTAL	3753000	95570	63.66	10000	5000	4500	500	10000



Annexure- 3

Seed Distribution and SRR (%) Plan for Kharif-2016& Subsidized Seed Disribution Target under NFSM								
Crop - Jowar					(seed in qtls & area in ha)			
S.No	District	Plan-2016-17			Total Target for Subsidized Seed Distribution	Agencywise Target for Subsidized Seed Distribution		
		Proposed Area	Seed Dist	SRR (%)		RSSC	NSC	Total
1	AJMER	135000	3400	25.19	1100	900	200	1100
2	JAIPUR	35000	2400	68.57	800	600	200	800
3	SIKAR	0	0	0.00	0	0	0	0
4	JHUNJHUNI	0	0	0.00	0	0	0	0
5	NAGPUR	65000	500	7.69	250	250	0	250
6	ALWAR	28000	700	25.00	350	250	100	350
7	BIKANER	0	0	0.00	0	0	0	0
8	CHURU	0	0	0.00	0	0	0	0
9	BARMER	4000	100	25.00	100	100	0	100
10	JODHPUR	55000	1000	18.18	300	200	100	300
11	JALORE	6000	300	50.00	100	100	0	100
12	BHILWARA	40000	3350	83.75	1000	600	400	1000
	TOTAL	368000	11750	31.93	4000	3000	1000	4000



Annexure- 5

Seed Distribution and SRR (%) Plan for Kharif-2016 & Subsidized Seed Distribution Target under NFSM

S. No	Crop - Moong	District	Plan-2016-17			Total Target for Subsidized Seed Distribution	Agencywise Target for Subsidized Seed Distribution			
			Proposed Area	Seed Dist	SRR (%)		RSSC	NSC	Kribhco	Total
1	AJMER	100000	7000	35.00	1200	1000	200	0	1200	
2	JAIPUR	95000	6700	35.26	1200	1000	200	0	1200	
3	DAUSA	0	0	0.00	20	20	0	0	20	
4	TONK	60000	4200	35.00	800	500	300	0	800	
	TOTAL	255000	17900	35.10	3220	2520	700	0	3220	
5	SIKAR	24000	1700	35.42	500	400	100		500	
6	JHUNJHUNI	25000	1750	35.00	700	500	170	30	700	
7	NAGPUR	341000	10000	14.66	3000	2000	1000	0	3000	
	TOTAL	390000	13450	17.24	4200	2900	1270	30	4200	
8	ALWAR	0	0	0.00	0	0	0	0	0	
9	BHARATPUR	0	0	0.00	0	0	0	0	0	
10	DHOLPUR	0	0	0.00	0	0	0	0	0	
11	S.MADHOPUR	1000	70	35.00	50	50	0	0	50	
12	KARALI	0	0	0.00	0	0	0	0	0	
	TOTAL	1000	70	35.00	50	50	0	0	50	
13	BIKANER	10000	700	35.00	500	100	150	250	500	
14	CHURU	75000	4500	30.00	1000	500	500	0	1000	
15	JAISALMER	20000	1400	35.00	600	300	300	0	600	
	TOTAL	105000	6600	31.43	2100	900	950	250	2100	
16	GANGANAGAR	35000	2000	28.57	1000	800	130	70	1000	
17	HANUMANGARH	25000	1000	20.00	600	300	150	150	600	
	TOTAL	60000	3000	25.00	1600	1100	280	220	1600	
18	BARMER	70000	2680	19.14	1400	900	500	0	1400	
19	JODHPUR	160000	7100	22.19	2800	2500	300	0	2800	
	TOTAL	230000	9780	21.26	4200	3400	800	0	4200	
20	SIROHI	9000	630	35.00	300	200	100	0	300	
21	JALORE	110000	7000	31.82	1800	1500	300	0	1800	
22	PALI	165000	5000	15.15	2000	1700	300	0	2000	
	TOTAL	284000	12630	22.24	4100	3400	700	0	4100	
23	KOTA	50	0	0.00	0	0	0	0	0	
24	BARAN	500	30	30.00	30	30	0	0	30	
25	BUNDI	0	0	0.00	0	0	0	0	0	
26	JHALAWAR	0	0	0.00	0	0	0	0	0	
	TOTAL	550	30	27.27	30	30	0	0	30	
27	BANSWARA	0	0	0.00	0	0	0	0	0	
28	DUNGARPUR	0	0	0.00	0	0	0	0	0	
29	UDAIPUR	1000	0	0.00	0	0	0	0	0	
30	PRATAPGARH	1000	0	0.00	0	0	0	0	0	
	TOTAL	2000	0	0.00	0	0	0	0	0	
31	BHILWARA	20000	1400	35.00	400	400	0	0	400	
32	CHITTORGARH	1000	70	35.00	50	50	0	0	50	
33	RAJSAMAND	1000	70	35.00	50	50	0	0	50	
	TOTAL	22000	1540	35.00	500	500	0	0	500	
	GRAND TOTAL	1349550	65000	24.08	20000	14800	4700	500	20000	



Annexure- 6								
Seed Distribution and SRR (%) Plan for Kharif-2016 & Subsidized Seed Distribution Target under NFSM								
Crop - Moth		(Seed in Qtls. & Area in Ha.)						
S. No	District	Plan-2016-17			Total Target for Subsidized Seed Distribution	Agencywise Target for Subsidized Seed Distribution		
		Proposed Area	Seed Dist	SRR (%)		RSSC	NSC	Total
1	AJMER	1000	50	33.33	50	50	0	50
2	JAIPUR	1000	50	33.33	50	50	0	50
3	DAUSA	0	0	0.00	0	0	0	0
4	TONK	0	0	0.00	0	0	0	0
	TOTAL	2000	100	33.33	100	100	0	100
5	SIKAR	5000	250	33.33	100	100	0	100
6	JHUNJHUNI	1000	50	33.33	50	50	0	50
7	NAGPUR	140000	1996	9.50	900	800	100	900
	TOTAL	146000	2296	10.48	1050	950	100	1050
8	ALWAR	0	0	0.00	0	0	0	0
9	BHARATPUR	0	0	0.00	0	0	0	0
10	DHOLPUR	0	0	0.00	0	0	0	0
11	S.MADHOPUR	0	0	0.00	0	0	0	0
12	KARALI	0	0	0.00	0	0	0	0
	TOTAL	0	0	0.00	0	0	0	0
13	BIKANER	277000	3400	8.18	2000	1800	200	2000
14	CHURU	300000	6000	13.33	3000	2700	300	3000
15	JAISALMER	1000	52	34.67	50	50	0	50
	TOTAL	578000	9452	10.90	5050	4550	500	5050
16	GANGANAGAR	1000	52	34.67	50	50	0	50
17	HANUMANGARH	25000	900	24.00	400	400	0	400
	TOTAL	26000	952	24.41	450	450	0	450
18	BARMER	220000	3000	9.09	1000	800	200	1000
19	JODHPUR	145000	2600	11.95	800	600	200	800
	TOTAL	365000	5600	10.23	1800	1400	400	1800
20	SIROHI	0	0	0.00	0	0	0	0
21	JALORE	30000	1500	33.33	500	500	0	500
22	PALI	2000	100	33.33	50	50	0	50
	TOTAL	32000	1600	33.33	550	550	0	550
23	KOTA	0	0	0.00	0	0	0	0
24	BARAN	0	0	0.00	0	0	0	0
25	BUNDI	0	0	0.00	0	0	0	0
26	JHALAWAR	0	0	0.00	0	0	0	0
	TOTAL	0	0	0.00	0	0	0	0
27	BANSWARA	0	0	0.00	0	0	0	0
28	DUNGARPUR	0	0	0.00	0	0	0	0
29	UDAIPUR	0	0	0.00	0	0	0	0
30	PRATAPGARH	0	0	0.00	0	0	0	0
	TOTAL	0	0	0.00	0	0	0	0
31	BHILWARA	0	0	0.00	0	0	0	0
32	CHITTORGARH	0	0	0.00	0	0	0	0
33	RAJSAMAND	0	0	0.00	0	0	0	0
	TOTAL	0	0	0.00	0	0	0	0
	GRAND TOTAL	1149000	20000	11.60	9000	8000	1000	9000

								Annexure- 7
Seed Distribution and SRR (%) Plan for Kharif-2016 & Subsidized Seed Distribution Target under NFSM								
Crop - Arhar			(Seed in Qtls. & Area in Ha.)					
S. No	District	Plan-2016-17			Total Target for Subsidized Seed Distribution	Agencywise Target for Subsidized Seed Distribution		
		Proposed Area	Seed Dist	SRR (%)		RSSC	NSC	Total
1	AJMER	0	0	0.00	0	0	0	0
2	JAIPUR	1000	70	35.00	60	0	60	60
3	DAUSA	0	0	0.00	0	0	0	0
4	TONK	0	0	0.00	0	0	0	0
	TOTAL	1000	70	0.00	60	0	60	60
5	SIKAR	0	0	0.00	0	0	0	0
6	JHUNJHUNI	0	0	0.00	0	0	0	0
7	NAGOUR	0	0	0.00	0	0	0	0
	TOTAL	0	0	0.00	0	0	0	0
8	ALWAR	2000	100	25.00	80	0	80	80
9	BHARATPUR	0	0	0.00	0	0	0	0
10	DHOLPUR	1000	40	20.00	40	0	40	40
11	S.MADHOPUR	0	0	0.00	0	0	0	0
12	KARALI	1000	40	20.00	40	0	40	40
	TOTAL	4000	180	22.50	160	0	160	160
13	BIKANER	0	0	0.00	0	0	0	0
14	CHURU	0	0	0.00	0	0	0	0
15	JAISALMER	0	0	0.00	0	0	0	0
	TOTAL	0	0	0.00	0	0	0	0
16	GANGANAGAR	0	0	0.00	0	0	0	0
17	HANUMANGARH	0	0	0.00	0	0	0	0
	TOTAL	0	0	0.00	0	0	0	0
18	BARMER	0	0	0.00	0	0	0	0
19	JODHPUR	0	0	0.00	0	0	0	0
	TOTAL	0	0	0.00	0	0	0	0
20	SIROHI	0	0	0.00	0	0	0	0
21	JALORE	0	0	0.00	0	0	0	0
22	PALI	1000	40	20.00	40	0	40	40
	TOTAL	1000	40	20.00	40	0	40	40
23	KOTA	0	0	0.00	0	0	0	0
24	BARAN	0	0	0.00	0	0	0	0
25	BUNDI	0	0	0.00	0	0	0	0
26	JHALAWAR	0	0	0.00	0	0	0	0
	TOTAL	0	0	0.00	0	0	0	0
27	BANSWARA	6000	100	8.33	90	0	90	90
28	DUNGARPUR	1000	40	20.00	40	0	40	40
29	UDAIPUR	4000	75	9.38	70	0	70	70
30	PRATAPGARH	1000	40	20.00	40	0	40	40
	TOTAL	12000	255	10.63	240	0	240	240
31	BHILWARA	0	0	0.00	0	0	0	0
32	CHITTORGARH	0	0	0.00	0	0	0	0
33	RAJSAMAND	0	0	0.00	0	0	0	0
	TOTAL	0	0	0.00	0	0	0	0
	GRAND TOTAL	18000	545	15.14	500	0	500	500

Seed Distribution and SRR (%) Plan for Kharif-2016 & Subsidized Seed Distribution Target under NFSM

S.No	Crop - Urd	District	Plan-2016-17			Total Target for Subsidized Seed Distribution	Agencywise Target for Subsidized Seed Distribution		
			Proposed Area	Seed Dist	SRR (%)		RSSC	NSC	Total
1	AJMER	25000	300	6.00	150	100	50	150	
2	JAIPUR	1000	70	35.00	20	20	0	20	
3	DAUSA	0	0	0.00	0	0	0	0	
4	TONK	25000	1750	35.00	200	100	100	200	
	TOTAL	51000	2120	20.78	370	220	150	370	
5	SIKAR	0	0	0.00	0	0	0	0	
6	JHUNJHUNI	0	0	0.00	0	0	0	0	
7	NAGPUR	0	0	0.00	0	0	0	0	
	TOTAL	0	0	0.00	0	0	0	0	
8	ALWAR	0	0	0.00	0	0	0	0	
9	BHARATPUR	0	0	0.00	0	0	0	0	
10	DHOLPUR	0	0	0.00	0	0	0	0	
11	S.MADHOPUR	8000	200	12.50	50	30	20	50	
12	KARALI	0	0	0.00	0	0	0	0	
	TOTAL	8000	200	12.50	50	30	20	50	
13	BIKANER	0	0	0.00	0	0	0	0	
14	CHURU	0	0	0.00	0	0	0	0	
15	JAISALMER	0	0	0.00	0	0	0	0	
	TOTAL	0	0	0.00	0	0	0	0	
16	GANGANAGAR	1000	50	0.00	0	0	0	0	
17	HANUMANGARH	0	0	0.00	0	0	0	0	
	TOTAL	1000	50	0.00	0	0	0	0	
18	BARMER	0	0	0.00	0	0	0	0	
19	JODHPUR	0	0	0.00	0	0	0	0	
	TOTAL	0	0	0.00	0	0	0	0	
20	SIROHI	2000	140	35.00	60	40	20	60	
21	JALORE	0	0	0.00	0	0	0	0	
22	PALI	0	0	0.00	0	0	0	0	
	TOTAL	2000	140	35.00	60	40	20	60	
23	KOTA	18000	1000	27.78	120	80	40	120	
24	BARAN	12000	400	16.67	90	70	20	90	
25	BUNDI	60000	750	6.25	140	100	40	140	
26	JHALAWAR	15000	550	18.33	130	100	30	130	
	TOTAL	105000	2700	12.86	480	350	130	480	
27	BANSWARA	15000	500	16.67	120	80	40	120	
28	DUNGARPUR	17000	300	8.82	140	80	60	140	
29	UDAIPUR	10000	600	30.00	110	80	30	110	
30	PRATAPGARH	6000	250	20.83	100	80	20	100	
	TOTAL	48000	1650	17.19	470	320	150	470	
31	BHILWARA	75000	2900	19.33	510	300	210	510	
32	CHITTORGARH	8000	100	6.25	40	20	20	40	
33	RAJSAMAND	2000	140	35.00	20	20	0	20	
	TOTAL	85000	3140	18.47	570	340	230	570	
	GRAND TOTAL	300000	10000	16.67	2000	1300	700	2000	

Physical & Financial target for certified seed production of pulses during khrif 2016 under NFSM					
S. No	Component	Crop	Physical target(qtl.)	Financial Target (Rs in lac) @Rs 2500/-qtl	Name of seed Agency
1	Certified seed production of pulses	Moong	30000	750.00	RSSC
		Moth	15000	375.00	RSSC
		Urd	3000	75.00	RSSC, Tilam Sangh
		Cowpea	1500	37.50	RSSC
		Arhar	500	12.50	RSSC
		Total	50000	1250.00	
<p>Note:- District , crop and varity wise break-up of above targets of certified seed production will be submitted by RSSC & Tilam Sangh to Deputy Director Agriculture of the concerned district and also to the Commissionerate for further allotment of target to the district.</p>					

